

सामान्य अभिलेख कक्ष उपायुक्त कार्यालय चम्बा

महोदय,

सामान्य अभिलेख कक्ष में निम्नलिखित कर्मचारी कार्यरत है :-

सामान्य रिकार्ड कीपर श्रीमति ~~श्रीमति~~ ^{गोपति सेठी} वरिष्ठ सहायक :

सामान्य रिकार्ड कीपर का कार्य उपायुक्त कार्यालय चम्बा, समस्त उपमण्डलाधिकारी जिला चम्बा, समस्त तहसीलदार तथा नायव तहसीलदार जिला चम्बा तथा भू-अर्जून अधिकारी कांगडा स्थित धर्मशाला तथा सैटलमेन्ट कार्यालय कांगडा स्थित धर्मशाला से जिन फाईलों के फैसले हो जाते हैं वह इस शाखा में दारिद्र्यल दफ्तर के लिये आती हैं तथा उन फाईलों के पैज स्टैम्प तथा हरताक्षर बनेरा चैक करके उन फाईलों को पास किया जाता है तथा पास करके वह फाईले अन्य कर्मचारियों को दी जाती हैं । जो दस्तावे एवम रेक्यूजिशन व जन सूचना अधिनियम 2005 के तहत जो नकले मांगी जाती हैं वह भी दी जाती हैं तथा कोर्टो में गवाही के लिए भी जाना पड़ता है ।

श्री आनन्द रेणा कनिष्ठ सहायक :-

कनिष्ठ सहायक का कार्य जो दिवानी तथा फौजदारी मिसले समस्त उपमण्डलाधिकारी /ना0/ जिला चम्बा, समस्त तहसीलदार एवम नायव तहसीलदार जिला चम्बा तथा भू-अर्जून अधिकारी कांगडा मण्डल धर्मशाला से प्राप्त होती हैं उन फाईलों को परगना वाईज तथा साल वाईज गोशवारा रजिस्टरो में दर्ज करके परगना वाईज तथा साल वाईज वस्तों में रखवाई जाती हैं तथा इन केसो की जो दस्तावे एवम रेक्यूजिशन आती हैं उन फाईलों को कोपिंग एजैन्सी तथा अन्य विभागों में भेजी जाती है तथा वापिस आने पर दर्ज करके वस्तों में डाली जाती हैं ।

कनिष्ठ सहायक का कार्य जो भी रेवन्यू मिसले फैसले होकर समस्त उपमण्डलाधिकारी /ना0/ जिला चम्बा, समस्त तहसीलदार एवम नायव तहसीलदार जिला चम्बा तथा सैटलमेन्ट अधिकारी कांगडा मण्डल धर्मशाला से प्राप्त होती हैं उन फाईलों को परगना वाईज तथा साल वाईज गोशवारा रजिस्टरो में दर्ज करके परगना वाईज तथा साल वाईज वस्तों में रखवाई जाती हैं तथा इन केसो की जो दस्तावे एवम रेक्यूजिशन आती हैं उन फाईलों को कोपिंग एजैन्सी तथा अन्य विभागों में भेजी जाती है तथा वापिस आने पर दर्ज करके वस्तों में डाली जाती हैं ।

गोपति सेठी
सहायक
सामान्य अभिलेख कक्ष
चम्बा जिला चम्बा